न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः—614/12 (आरसीएमएस नं. 2012/00099)

1. अवतार सिंह,
2. जगतार सिंह पुत्रान उधमसिंह, जाति रायसिख निवासी भटकोल, तहसील किशनगढबास, जिला अलवर (मृतक)
   2/1. रतनसिंह पुत्र स्व. श्री जगतार सिंह, जाति रायसिख उम्र करीब 35 साल,
   2/2. निरंजन कौर पत्नी स्व. श्री जगतार सिंह, जाति रायसिख उम्र करीब 60 साल,
   2/3. रंजना बाई पुत्री स्व. श्री जगतार सिंह, जाति रायसिख निवासीयान ग्राम भटकोल तहसील किशनगढबास, जिला अलवर राजस्थान।
   2/4. रतनोंबाई पुत्री स्व. श्री जगतार सिंह पत्नी प्रीतमसिंह, जाति रायसिख निवासी शाहबाद नंगला, तहसील तिजारा, जिला अलवर, राजस्थान।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती सीतोबाई स्त्री मृतक धर्मसिंह जाति रायसिख, निवासी नबीनगर, तहसील तिजारा, जिला अलवर।

——रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 31.01.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम, अलवर के आदेश दिनांक 27.12.2007 (प्रकरण संख्या 17/2007) से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 207/478 रकबा 111, खसरा नम्बर 184 रकबा 3, खसरा नम्बर 207—511 1, खसरा नम्बर 185 रकबा 4, 3 खसरा नम्बर 348—111 में उधमसिंह मुताबिक जमाबन्दी हिस्सेदार व खातेदार श्री उधमसिंह ने यह आराजी मु. सुन्दरीबाई से खरीद की थी, उधमसिंह के देहावसान के बाद विरासत के नामान्तरकरण संख्या 221 सही प्रकार से किया गया था लेकिन मु0 सीतोबाई द्वारा गलत तरीके से स्वयं को उधमसिंह की नवासी बताकर नामान्तरकरण संख्या 221 की अपील अतिरिक्त जिलाधीश प्रथम अलवर की अदालत में दायर की तथा अधीनस्थ अदालत द्वारा गलत तरीके से रेस्पोडेन्ट की प्रथम अपील स्वीकार कर रिमाण्ड की आज्ञा बैजा सादिर की गई है, जो निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी उधमसिंह द्वारा मु. सुन्दरी बाई बेवा हरदासमल से जरिये रजिस्टर्ड

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

विक्रय पत्र दिनांक 08.04.1981 को खरीद की गई थी तथा आराजी पर खरीद के बाद उदमसिंह अपने जीवनकाल में काबिज रहा एवं उधमसिंह के मरने के बाद उधमसिंह के दोनों पुत्र अपीलान्ट अवतार सिंह व जगतारसिंह आराजी पर काबिज रहकर काश्त कर रहे है। उन्होने कथन किया है कि उधमसिंह के दो लडके व एक पत्नी श्रीमती राधाबाई वारिसान थे, उधमसिंह की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 221 स्वीकार होने से पूर्व ही उधमसिंह की पत्नी श्रीमती राधाबाई का देहावसान हो गया लिहाजा विरासत का नामान्तरकरण अपीलान्ट के हक में सही प्रकार से दर्ज व स्वीकार किया गया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उधमसिह के गरोबाई नामक कोई पुत्री नही थी लेकिन रेस्पोडेन्ट सीतोबाई गलत तरीके से स्वयं को ग्राम भटकोल की निवासी बताकर तथा अपने आपको उधमसिंह की नवासी बताकर अपीलान्ट की आराजी को हड़प करना चाहती है जिसका उसे कोई हक व अधिकर नही है। उन्होने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील में स्वयं के पति का नाम जानबुझकर दर्ज नही किया गया तथा स्वयं को ग्राम भटकोल तहसील किशनगढबास की निवासी दर्ज कर अपील प्रस्तुत की है, जबकि सही तथ्य इस प्रकार से है कि सीतोबाई ग्राम भटकोल में कभी नही रही, सीतोबाई ग्राम नबीनगर ग्राम पंचायत हमीरका तहसील तिजारा जिला अलवर की रहने वाली है तथा वही पर स्थाई तौर से निवास कर रही है, रेस्पोडेन्ट के नबीनगर में रहने के तथ्य को साबित करने के लिये अपीलान्ट द्वारा सीतोबाई का राशन कार्ड, ग्राम नबीनगर की मतदाता सूचि वर्ष 93, मतदाता सूची वर्ष 88 व विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन नामावली 07 पेश की थी जिसमें यह बात स्पष्ट रूप से साबित थी कि सीतोबाई नबीनगर की रहने वाली है, ग्राम भटकोल की कभी नही रही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीतोबाई द्वारा इस तथ्य को साबित करने के लिये कि सीतोबाई, उधमसिंह की नवासी है तथा गुर्राबाई, उधमसिंह की पुत्री थी, कोई दस्तावेज, साक्ष्य पेश नही किया गया, सीतोबाई द्वारा भटकोल ग्राम के किसी भी ग्रामवासी का कोई हलफनामा इस सन्दर्भ में पेश नही किया गया कि उधमसिंह की पुत्री गुर्राबाई व गुर्राबाई की पुत्री सीतोबाई है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट की प्रथम अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खारिज योग्य थी लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में गौर नही किया तथा रेस्पोडेन्ट सीतोबाई द्वारा नामान्तरकरण संख्या 221 की अपील अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तीन साल बाद पेश की गई जो मियाद बाहर थी तथा रेस्पोडेन्ट द्वारा विलम्ब का कोई सन्तोषजनक स्पष्टीकरण कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश नही किया गया था उसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिलाधीश प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2007 को निरस्त फरमाया जाकर नामान्तरकरण संख्या 221 बहाल रखे जाने की आज्ञा फरमाई जावे।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन पर जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2007 से प्रकरण तहसीलदार किशनगढबास को रिमाण्ड किया गया है जिसकी पालना में तहसीलदार किशनगढबास द्वारा प्रकरण में सुनवाई की जाकर आदेश दिनांक 07.02.2009 पारित किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में हस्तगत अपील सारहीन होने से अपील पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2007 को यथावत रखा जाता है।

(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।